एम. आर. कुडवा

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

15 दिसंबर, 2006

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 487 सपठित धारा 482 - दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में सजा - एक साथ चलने के लिए अलग-अलग और स्वतंत्र कार्यवाही में प्रार्थना - अभिनिर्धारित, धारा 487 को न तो मूल मामलों में, न ही अपीलों में लागू कराया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमित याचिका को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष अलग आवेदन, पोषणीय नहीं था - धारा 482 मामले में एक उचित उपाय नहीं - सजा - दंड संहिता, 1860 - धाराये 120-B, 420,468,471 -भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 - धारा 5 (1)

अपीलार्थी, एक बैंक प्रबंधक, को दो आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी/ 420 / 467 / 471 सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। उसे पहले मामले में 18 महीने और दूसरे मामले मे 2 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। दोनो मामलो मे उसकी अपील उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी, इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमित याचिकायें भी। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया सिहंता 1973 की धारा 482 / 487 के अंतर्गत एक याचिका दायर की और प्रार्थना की कि दोनो मामलो मे उस पर लगाई गई सजा को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाये। उक्त आवेदन खारिज होने पर अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया :

1.1. मौजूदा मामले में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427 का प्रावधान न तो मूल मामलो में और न ही अपीलो मे लागू कराया गया था। विशेष अनुमित याचिकायें खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अलग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं था। उच्च न्यायालय इस प्रकृति के मामले में अपने अंतिनिर्हितक्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपील में निर्णय पारित करते समय इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया था। इसिलये, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुये संहिता की धारा 482 कोई उचित उपचार नहीं थी कि न तो विचारण न्यायाधीश, न ही उच्च न्यायालय दोषसिद्वि और सजा का निर्णय सुनाते समय यह संकेत दिये दिया कि अपीलार्थी के विरूद्व दोनो प्रकरणो में सजा पारित करते समय सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी या धारा 427 को आकर्षित करेगी। इसलिए,

उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान एक अलग और स्वतंत्र कार्यवाही में लागू नहीं किया जा सकता है। [1146-डी-एफ]

मोहम्मद अख्तर हुसैन उर्फ इब्राहिम अहमद भट्टी बनाम सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर (रोकथाम), अहमदाबाद और एक अन्य [1988] 4 एस. सी. सी. 183, को संदर्भित किया।

अम्मावस्सी और एक अन्य अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, वल्लियनपुर और अन्य, एआईआर [2000] एससी 3544, अंतर किया गया।

1.2. आपराधिक प्रकरण संख्या 5/1993 में निर्णय और दोषसिद्धि पारित करते समय सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को आपराधिक प्रकरण संख्या 9/1992 में भी दोषसिद्वि दी गई है। उसके द्वारा यदयपि स्पष्ट रूप से राय दी गई कि आरोपी किसी भी सहानुभूति के लायक नहीं था। [1145-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1330/2006

(आपराधिक याचिका संख्या 3917/2005 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2005 से।)

वी. बी. जोशी, अपीलार्थी के लिये।

ए. शरण, ए. एस. जी., अमित पवन, पी. परमेश्वरन और डी. भारती रेड्डी, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था।

अनुमति स्वीक्रत की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'संहिता') की धारा 427 के प्रावधान का आवेदन इस अपील में विचार के लिये आता है, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 3917/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 17/10/2005 से उत्पन्न होता है।

अपीलकर्ता एक बैंक कर्मचारी था। उसने हैदराबाद के आबिद रोडस्थिति सिंडीकेट बैंक की शाखा में प्रबंधक के रूप में काम किया। उसका काम लोन स्वीकार करना था। कथित तौर पर, एक मामले में उसने एक ग्राहक को ब्लैकएंड व्हाइट टेलीविजन के लिये लोन स्वीकार किया, जबिक योजना किसी और चील के लिये थी। एक अन्य मामले में उसने आवासीय सिमिति से भूखंड प्राप्त करने के लिये लोन स्वीकार किया। दोनो प्रकरणों में केंद्रीय जांच ब्यूरो सी. बी. आई. द्वारा भी अपीलार्थी के विरूद्व आरोप-पत्र प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार, उसके खिलाफ मामला दो प्रकरण दर्ज किये गये थे, एक आपराधिक प्रकरण संख्या 9 और 9/1992 और दूसरा

आपराधिक प्रकरण संख्या 5/1993 है। पहले मामले में फैसला विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. अदालत दवारा 04.07.1997 को स्नाया गया था जिसके तहत उसे भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 120 बी, 420, 468, 471 सपठित धारा 5 (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, दोषी ठहराया गया था। उसे 18 महीने का कठोर कारावास भ्गतने की सजा दी गई थी। आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिये अलग अलग राशि के अर्थदंड भी अधिरोपित किये गये थे। दोषसिद्वि और सजा के एक निर्णय दिनांक 6/8/1997 के जरिये विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने उसे आपराधिक प्रकरण संख्या 5/1993 में आईपीसी की धाराये 120 बी, 420, 468, 471 सपठित धारा 5 (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कारित किये गये दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया और उसे दो साल का कठोर कारावास भ्गतने की सजा दी गई। उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराधो के लिये उसके विरूद्व अलग अलग राशि के अर्थदंड भी अधिरोपित किये गये थे।

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष इसके विरूद्व दायर अपीलों को क्रमश: आपराधिक अपील संख्या 792/1997 और आपराधिक अपील संख्या 894/1997 के रूप में पंजीक्रत किया गया था। अपीलो को क्रमश: 30/12/04 और 20/1/05 के आदेशों के द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इनके विरूद्व दायर की गई विशेष अनुमित याचिकाओं को भी इस न्यायालय ने दिनांक 11/5/05 के एक आदेश के द्वारा खारिज कर दिया है। इसके बाद अपीलकर्ताने उच्च न्यायालयके समक्ष एक आवेदन दायरिकया,जो किथत तौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482/427 के अंतर्गत था, जिसमें अन्य बातो के अलावा प्रार्थना की गई थी कि दोनो मामलो मे उसे दी गई सजायें एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाये। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दियागया है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वी. बी. जोशी, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले के तथ्यों और पिरिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों मामलों में अपराध की प्रकृति समान है, उच्च न्यायालय को निर्देश देना चाहिए था कि अपीलार्थी पर लगाई गई सजायें एक साथ चलेंगी न कि लगातार।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 इस प्रकार है :

"427. एक अन्य अपराध के लिए पहले से ही सजा पाए अपराधी को सजा। (1) जब पहले से ही कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को बाद की सजा पर कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति

पर शुरू होगा जिसके लिये उसे पहले सजा सुनाई गई है, जब तक कि अदालत यह निर्देश न दे। अगली सजा ऐसी पिछली सजा के साथ साथ चलेगी:

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति कोसुरख्ज्ञा प्रदान करने में चूक करने पर धारा 122 के तहत एक आदेश द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई हो, ऐसी सजा भुगतने के दौरान, ऐसे आदेश के बनने से पहले कियेगये अपराध के लिय कारावास की सजा सुनाई गई हो, बाद की सजा त्रंत शुरू होगी।

(2) जब पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को बाद में दोषी ठहराये जाने पर एक अवधि के लिये कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ साथ चलेगी।"

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक प्रकरण संख्या 5/1992 में निर्णय और दोषसिद्धि पारित करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को आपराधिक प्रकरण संख्या 9 /1992 में दोषी ठहराया जा चुका था।। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से राय दी कि अभियुक्त किसी भी अपीलार्थी सहानुभूमि के लायक नहीं था। अपीलकर्ता को उसकेखिलाफ लगाये गये सभी आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया और उसे अलग अलग अविध के लिये कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। भादंसं की धारा 420 के तहत

कारित किये जाने वाले दंडनीय अपराध उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, उस पर लगाई गई कारावास की सजायें एक साथ भ्गतने के लिये निर्देश दिये गये थे।

हालाँकि अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों की सुनवाई लगभग एक ही समय में की, लेकिन ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई प्रतीत होती है न ही यह उच्च न्यायालय द्वारा विचार के अंतर्गत आता है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमित याचिकाएं भी खरिज कर दी गई है।

श्री जोशी द्वारा मोहम्मद अख्तर हुसैन उर्फ इब्राहिम अहमद भट्टी बनाम सहायक कलेक्टर ऑफ कस्टम्स (प्रिवेंशन), अहमदाबाद और एक अन्य, [1988] 4 एस. सी. सी. 183 के आदेश पर गहरा भरोसा जताया। इसमें अदालत ने इस तर्क को यथावत रखा कि यदि किसी दिये गये लेनदेन में अधिनियमों के तहत दो अपराध बनते हैं, तो आम तौर पर लगातार सजा देना गलत होगा। हालांकि यह राय थी कि समवर्ती वाक्य होना उचित और वैध होगा; लेकिन साथ ही, यह माना गया कि यदि समान अपराध बनाने वाले तथ्य बिल्कुल अलग है तो उक्त नियम का कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिये, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अपीलार्थी को दो अलग अलग और विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया गया है, श्री जोशी के तर्कों के विरोध में जाता है।

श्री जोशी द्वारा अम्मावस्सी और एक अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, विल्लयन्र और अन्य, ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 3544 पर भी भरोसा व्यक्त किया गया है। इसमें अपीलकर्ताओं को तीन से चार महीने की अविध के दौरान चार पांच अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गयाथा। अपीलकर्ताओं ने कुल 28 या 35 साल की जेल की सजा से बचने के लिये संहिता की धारा 427 के तहत लाभ का दावा किया। इस न्यायालय ने राय दी कि 14 वर्ष का कठोर कारावास न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। इसलिये, यह स्पष्ट है कि उस मामले में भी, बिक संहिता की धारा 427 तीन मामलों में लागू की गडू थी, लेकिन दो मामलों में सजायें लगातार चलने का निर्देश दिया गया था।

इसिलये, उक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी नहीं है कि इस प्रकार के मामले में यह निर्देश देना न्यायालय के लिये अनिवार्य है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी न कि लगातार।

हालाँकि, इस मामले में संहिता की धारा 427 का प्रावधान मूल मामलो या अपीलो मे लागूनहीं किया गया था। विशेष अनुमित याचिकायें खारिज होने के बाद उचच न्यायालय के समक्ष एक अलग आवेदन दायर किया गया था। हमारी राय में, ऐसा आवेदन पोषणीय नहीं था। उचच न्यायालय इस प्रकार के मामले मे अपने अंतनिर्हित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपील में निर्णय पारित करते समय इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया था। इसलिये, संहिता की धारा 482 कोई उचित उपचार नहीं थी इस तथ्य के संबंध में कि न तो विचारण न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने दोषसिद्वि और सजा के फैसले पारित करते समय संकेत दिया कि दोनो मामलो मे अपीलकर्ता के खिलाफ पारित सजायें एक साथ चलेंगी या धारा 427 लागू होगी। इसलिये, उक्त प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा एक अलग और स्वतंत्र कार्यवाही मे लागू नहीं किया जा सकता है। अपील गुणावगुण के अभाव के आधार पर खरिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।